कोरोना से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अब ईएसआईसी से मिलेगी पेंशन

रायपुर | ईएसआईसी ने कोविड-19 राहत योजना शुरू की है। ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत कर्मचारियों की कोरोना से मौत होने पर उनके आश्रितों को पेंशन दिया जाएगा। यह राशि सीधे आश्रितों के खाते में डाली जाएगी। कोरोना संक्रमित होने पर 30 दिन के अंदर यदि कर्मचारी की मौत होती है तो उसे भी राहत योजना में कवर किया जाएगा। योजना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर संक्रमित रिपोर्ट के 45 दिन तक मृत्यु के मामले में भी लागू होगी।